सत्यमेव जयते

सूअर पालन विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

113/2, राजपुर रोड, होटल सनराइज, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)

सूअर पालन विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना-

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम लोगों द्वारा सूअर पालन किया जाता है। अपर्याप्त उच्च क्वालिटी पशुओं, संतुलित चारे की किफायती दरों पर अनुपलब्धता और संगठित मार्केट के अभाव जैसी रूकावटों के कारण हमारे देश में सूअर पालन को एक व्यवसायिक उद्यम के तौर पर अभी तक अपनाया नहीं गया है। अत: भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान रू0 73.55 करोड के कुल परिव्यय के साथ सूअर पालन विकास पर एक केन्द्रीय योजना की शुरूआत की है।

1. **परिचालन क्षेत्र** - यद्यपि योजना में उच्च संभाव्यतायुक्त 15 राज्यों के 50 जिलों को शामिल किया गया है जिसमें उत्तराखण्ड नहीं है तथापि यौजना के तहत अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किए जाने का प्रावधान है।

2. **योजना का उद्देश्य** -

   क) किसानों/श्रमिकों के द्वारा व्यवसायिक रूप से सूलर पालन को प्रोत्साहित करना।

   ख) संकर प्रजाति प्रजनन (क्रास ब्रीडिंग) के माध्यम से मूल नस्ल की उत्पादन क्षमता सुधारना।

   ग) सूअर प्रजनन, पालन और संबंधित गतिविधियों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।

3. **पात्रता** - उत्पादक कम्पनियाँ, साझेदारी फर्में, निगमें, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, सहकारिताएँ तथा वैयक्तिक उद्यमी।

4. **परिव्यय के घटक** -

   क) लाभार्थी अंशदान - परिव्यय का 10% (न्यूनतम) भूमि की लागत को प्रवर्तक के अंशदान का हिस्सा माना जा सकता है तथापि यह परियोजना लागत के 10% से अधिक नहीं होगी।

   ख) अनुदान - यथाइंगित उच्चतम सीमा के अधीन पात्रता के अनुसार कुल परिव्यय का 25% या 33.33%

   ग) बैंक ऋण - शेष अंश

5. **अनुदान** – विभिन्न गतिविधियों के लिए पूँजी अनुदान की सीमा निम्नानुसार है–

घटक	यूनिट आकार व व निदेर्शित यूनिट लागत	सहायता का प्रकार – पश्चदेय (बैंक एन्डेड) अनुदान के रूप में
सूअर प्रजनन केन्द्र	20 मादा पशु + 4 नर पशु रू0 6.00 लाख	1. लागत का 25% या अधिकतम रू0 1.50 लाख 2. पर्वतीय क्षेत्रों में लागत का 33.33% या अधिकतम रू0 2.00 लाख
सूअर पालन और फैटनिंग युनिट	3 मादा पशु + 1 नर पशु रू0 0.76 लाख	1. लागत का 25% या अधिकतम रू0 19000/– 2. पर्वतीय क्षेत्रों में लागत का 33.33% या अधिकतम रू0 25300/–
खुदरा बिक्री केन्द्र	रू0 10.00 लाख	1. लागत का 25% या अधिकतम रू0 2.50 लाख 2. पर्वतीय क्षेत्रों में लागत का 33.33% या अधिकतम रू0 3.33 लाख
पशुबाजारों के लिए सुविधाएँ	प्रति जिला 2 बाजार	लागत का 50% या अधिकतम रू0 2.50 लाख (सभी क्षेत्रों के लिए)

6. **ऋण सहबद्धता** – योजना के अंतर्गत वाणिजियक सहायता पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना की मुजूरी के आधीन तथा ऋण से सहबद्ध होगी। पात्र वित्तीय संस्थाएँ हैं – वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंग तथा अन्य ऐसी संस्थाएँ से पुनर्वित्त प्राप्त करने क लिए पात्र हैं।

7. **संवर्धनात्मक सहायता** – राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात नाबार्ड के माध्यम से निम्न–निम्न गतिविधियों क लिए निधि प्रदान की जाएगी –

क्र.सं.	घटक	यूनिट दर	निधि प्रकार	पात्र संगठन/एजेंसियाँ
1.	स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों/ किसानों क्लबों/ सहकारिताओं का गठन	0.2	100% अनुदान	नाबार्ड के माध्यम से गैर सरकारी संगठन
2.	किसानों/ कसाईयों और दुकान मालिकों का प्रशिक्षण	0.01 / 0.02	100% अनुदान	नाबार्ड के माध्यम से गैर सरकारी संगठन
3.	सरकारी फार्मों का पुनरूद्धार (20 मादा + 4 नर सूअर)	3	50% अनुदान	राज्य कार्यान्वयन ऐजंसी, कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य सरकारन

8. **पूंजीगत अनुदान की मंजूरी तथा उसका जारीकरण** –
   1. लाभार्थी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाकर वित्त पोषक बैंक को भेजना।
   2. परियोजना का आकलन तथा ऋण की मंजूरी के बाद बैंक द्वारा उनके नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव नाबार्ड को भेजना।

3. नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रस्तावों का स्वीकृत होना।
4. नाबार्ड प्रधान कार्यालय से पुष्टि मिलने पर बैंको को अनुदान जारी किया जाता।
5. अनुदान को सब्सीडी रिजर्व फंड खातों में अलग से रखा जाएगा जिसका समायोजन बैंक एन्डेड तथा न्यनतम 3 वर्ष की समयबंदी के साथ होगा तथा इस अंश पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

9. **चुकौती अवधि** - नकदी प्रवाह पर निर्भर, 01 वर्ष की छूट अवधि सहित 05 से 06 वर्षों के बीच होगी।

10. **परियोजना की पूर्णता की निर्धारित समय सीमा** - ऋण की प्रथम किश्त के वितरण की तारीख से अधिकतम 12 माह। विलंब के यथोचित कारण होने की दशा में 03 माह की अवधि बैंक द्वारा ओर दी जा सकती है।

11. **अन्य शर्तें** -
    1. परियोजना के अंतर्गत निर्मित अस्तियों का बीमा।
    2. नाबार्ड के माध्यम से पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्ति के साइन बोर्ड का यूनिट पर प्रदर्शन।

सहायता एवं सम्पर्क सूत्र-

जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड

1. **अल्मोडा व बागेश्वर,** श्री बहादुर सिंह बिष्ट
   फोन: 05962-233123, मो0: 9412093444
2. **हरिद्वार,** श्री हेमन्त कुमार तिवारी
   फोन: 01334-220330, मो0: 9412073002
3. **टिहरी गढ़वाल,** श्री ओ.पी. ढौन्डियाल
   फोन: 01376-232190, मो0: 9412076390
4. **पौडी गढ़वाल,** श्री एस. दास गुप्ता
   फोन: 01368-221970, मो0: 9411109889
5. **पिथौरागढ़,** श्री विकास भट्ट
   फोन: 05964-227660, मो0: 9412095933
6. **उत्तरकाशी,** श्री एस.सी. गर्ग
   फोन: 01374-224757, मो0: 9411103513
7. **ऊधम सिंह नगर,** श्री पुष्पहास पाण्डेय
   फोन: 05944-242620, मो0: 9412089620
8. **नैनीताल,** श्री जी. एस. चौधरी
   फोन: 05942-237257, मो0: 9412084752

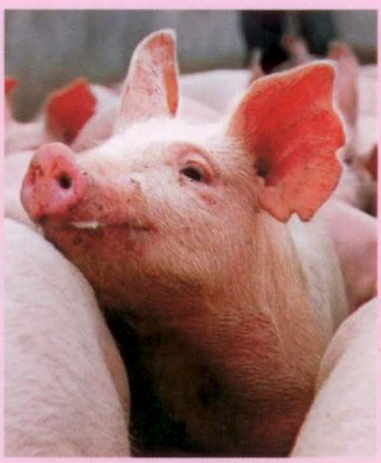

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

फोन: 0135-6601085 / 6601070 ईमेल: dehradun@nabard.org